न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 176 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही		श्री अजयपालसिंह पुत्र गोपालसिंह धापकुंवर पत्नी गोपालसिह जाति राजपूत निवासी सिन्दरथ तहसील सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से
पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही)
2– अप्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिह देवडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही-307001 (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत
वास्ते कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि उपयोग करने

निर्णय — दिनांक 9 –11–2020

प्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्राथी का वास्ते बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि उपयोग करने का इस न्यायालय मे दिनांक 2–11–2017 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि मौजा सिन्दरथ के जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता नंबर 4 खसरा नंबर 693 कुल रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त खसरा नंबरों की भूमि से 0.2400 हैक्टेयर कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये ढाबा बनाया जाकर उक्त भूमि का अकृषि (वाणिज्यिक) उपयोग किया जा रहा है, जिसमे करीब 50 × 30 फीट भूमि पर पक्का टीन सेट नुमा निर्माण कार्य किया है। जमाबंदी ,नक्शा ट्रेस एव मौका फर्द दिनांक 5–9–2017 मूल संलग्न की है। प्रार्थी ने उक्तानुसार प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्राथी द्वारा मौजा सिन्दरथ के खसरा नंबर 693 रकबा 1.1800 हेक्टेयर मे से 0.2400 हेक्टेयर कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि उपयोग कर अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया है। अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश प्रसारित करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भूमिधारी तथा संलग्न मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता नंबर 4 खसरा नंबर 693 व खसरा नंबर 714 से लगायत 721 कुल किता 9 कुल क्षैत्रफल 5.7200 हैक्टेयर नक्शा किश्तवार व पटवारी हल्का धान्ता व भू.अ.नि. कृष्णगंज की संयुक्त मौका फर्द दिनांक 5–9–2017 प्रमाणित प्रति की फोटो कोपी अवलोकन कर उस पर [illegible] किया [illegible] न्यायालय इस प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 2–11–201[illegible] को [illegible] रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया [illegible] विचारण प्रकरण [illegible] इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 5–1–2018 को अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा ने अण्डर टेंकि[illegible] है। दिनांक 19–1–2018 को दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण की ओर [illegible] वकील श्री कलीम अ[illegible] वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा ने संयुक्त हसताक्षरयुक्त वकालतनामा पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:15 IST
Reason: SelfAttested

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 9–12–2019 को दौराने सुनवाई वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

निरन्तर पेज नं. 2

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 मे दर्ज कथन सही होने से अस्वीकार है। मौजा सिन्दरथ के जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता नंबर 4 खसरा नंबर 693 कुल रकबा 1.1800 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की आयी हुई है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 के सम्बन्ध मे जवाब प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि पर दाखकुंवर वगैरह द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दिया है तथा अवैध कब्जा कर वाणिज्यिक निर्माण व कार्य किया जा रहा है, जिसे हटाने हेतु एवं भूमि के कब्जा हेतु अप्रार्थीगण स्वंय द्वारा माननीय न्यायालय मे धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुकदमा दर्ज करवाया गया है जो वाद संख्या 215/2012 अजयपालसिंह व अन्य बनाम दाखकुंवर व अन्य इसी न्यायालय मे लंबित है। अप्रार्थीगण/खातेदार द्वारा किसी प्रकार का कोई अकृषि अथवा वाणिज्यिक निर्माण अथवा उपयोग नही किया जा रहा है। वरन् अप्रार्थीगण स्वंय उक्त अकृषि निर्माण को हटवाने हेतु प्रतिबद्व है जो कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र से पूर्व प्रस्तुत वाद से स्पष्ट है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि पर से किसी भी प्रकार का अकृषि अथवा वाणिज्यिक निर्माण तुरन्त प्रभाव से हटवाये जाने का आदेश फरमावें। विचारण प्रकरण वास्ते प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही व वकील अप्रार्थीगण की अंतिम बहस हेतु न्यायालय मे दिनांक 3–11–2020 को मुर्करर की गई ।

इस न्यायालय मे दिनांक 3–11–2020 को प्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना. तह.सिरोही व वकील अप्रार्थीगण ने हाजिर होकर विचारण इस प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट 1955 पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । दौरान बहस वकील प्रार्थी ने फार्म नंबर 3 के संलग्न इस न्यायालय द्वारा निर्णित रा.प्रा.पत्र संख्या 187/2012 अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत शीर्षक अजयपालसिंह वगैरा बनाम दाखकुवर वगैरहा मे पारित निर्णय दिनांक 21–6–2013 की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

हमने विचारण इस प्रकरण मे प्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिरोही तथा वकील अप्रार्थी की विचारण रा.प्रा.पत्र अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस पर मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली के संलग्न प्रार्थना पत्र मय भूमिधारी तहसीलदार सिरोही का शपथपत्र ,जवाब व वादग्रस्त आराजी की जमांबंदी संवत 2072–2075 खाता नंबर 4 खसरा नंबर 693 रकबा 1.1800 हैक्टेयर तथा संयुक्त मौका फर्द दि 5–9–2017 तथा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तत उक्त निर्णित प्रकरण संख्या 187/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 21–6–2013 की फोटो प्रतियों तथा वकील अप्रार्थी अजयपालसिंह के जवाब मे वर्णित प्रकरण वाद संख्या 215/2012 अ.धा. 183 आर.टी.एक्ट शीर्षक अजयपालसिंह वगैरहा बनाम दाखकुंवर वगैरहा एवं अन्य वाद संख्या 56/2012 अ.धा. 88,188 आर.टी. एक्ट शीर्षक दाखकुंवर वगैरहा बनाम अजयपालसिंह वगैरहा जो इस न्यायालय मे विचाराधीन चल रहे है। उक्त दोनो विचाराधीन वादो की मूल पत्रावलीयों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन किया। सम्पूर्ण प्रकरण विवेचन के उपरान्त उक्त तीनो वर्णित प्रकरण 215/2012 तथा 56/2012 जो इस न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 693 की भूमि भी वादग्रस्त है तथा निर्णित रा.प्रा.पत्र संख्या 187/2012 अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट शीर्षक अजयपालसिंह वगैरहा बनाम दाखकुंवर वगैरहा मे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–6–2013 को प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर खसरा नंबर 693 व अन्य ख[illegible] कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 05.88 हैक्टेयर मे किसी प्रकार का हस्त[illegible] भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया हुआ है। ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय द्वारा जारी उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा तथा इस [illegible] उक्त दोनो राजस्व वादो का जब तक गुणावगुण के आधार पर निस्तारण नही हो पाता है तब तक उक्त भूमि को बिलानाम घोषित किया जाना रिकार्डेड खातेदारों के नैसर्गिक न्याय के अवसरों का हनन होगा। उक्त वाद धारा 177 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से बहुत पहले 2012 में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 177 आर.टी.एक्ट स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी) को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय मे विचाराधीन उक्त राजस्व वाद संख्या 56/2012 अ.धा. 88 ,188 आर.टी.एक्ट दाखकुंवर वगैरहा बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:15 IST
Reason: SelfAttested

अजयपालसिंह वगैरहा तथा राजस्व वाद संख्या 215/2012 अ.धा. 183 आर.टी.एक्ट अजयपालसिंह वगैरहा बनाम दाखकुंवर वगैरहा के निर्णय के पश्चात निर्णयानुसार यदि पुनः प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 9–11–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही-307001 (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:15 IST
Reason: SelfAttested